

कार्यालय कलेक्टर, जिला-कोरबा, (छ.ग.) एवं पदेन उपसचिव, छ.ग. शासन राजस्व  
एवम् आपदा प्रबंधन विभाग

क्र. / 1948 / भू-अर्जन / 2022,

कोरबा, दिनांक 16/02/2022


—:: अधिसूचना ::—


(भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 14 के अंतर्गत)

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के लिए कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-7 के अधीन विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत की गई सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तारिख 03/11/2020 को किया गया था। जिसके पूर्व ग्राम सभा दिनांक 04/10/2019 एवं प्रथम सामाजिक समाघात दिनांक 12/02/2020 को कार्यवाही हुआ था। जिसमें ग्राम वासियों के द्वारा सर्वसम्मती से सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य के लिये भू-अर्जन के लिये प्रस्ताव पारित हो चुका है। क्योंकि पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस (Covid-19) महामारी फैलने के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो गया था जिसके रोक थाम हेतु पुरे प्रदेश में लाक डाउन किये जाने के फलस्वरूप भू-अर्जन प्रकरण प्राप्त आपत्तियों की निराकरण किये जाने में विलम्ब होने के कारण दिनांक 03/11/2021 तक प्रारंभिक अधिसूचना (धारा-11) नहीं किया जा सका अतएव उक्त अधिनियम की धारा 14 में वर्णित प्रावधान एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार बारह मास वृद्धि की जाती है एवं जनसाधारण हेतु सूचना प्रकाशित/प्रदर्शित की जाती है।

ग्राम -सिंधाली, प.ह.न.-8, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा छ.ग.						
भूमि का विवरण					धारा 12 प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का विवरण
जिला	तहसील	भूमि का प्रकार ग्राम/प.ह.न.	कुल ख.न.	कुल क्षेत्रफल (हे. में.)		
1	2	3	4	5	6	7
कोरबा	कटघोरा	सिंधाली/08	30	2.195	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, कोरबा	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

  
अनुविभागीय अधिकारी (अ.)  
कटघोरा (छ.ग.)



(रानू साहू)  
कलेक्टर,

जिला-कोरबा

एवं पदेन उप सचिव

छ.ग. शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

**कार्यालय कलेक्टर, जिला-कोरबा, (छ.ग.) एवं पदेन उपसचिव, छ.ग.  
शासन राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग**

---:: प्रारंभिक अधिसूचना ::---

पत्र क्र./1929/भू-अर्जन/2022,

कोरबा, दिनांक 16 /02/2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आषय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम(6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अंतर्गत दी गई षक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है-


**अनुसूची**

भूमि का प्रकार							
जिला	तहसील	भूमि का प्रकार ग्राम/प.हं.न.	खं.न.	क्षेत्रफल (हे.में)	धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	
कोरबा	कटघोरा	सिंघाली/	कालम सलगन (कुल खसरा नं. 30)	कालम सलगन (कुल रकबा 2.195 हे. )	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, कोरबा	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के दांयी तट मुख्य नहर निर्माण	
ख.न.	क्षेत्रफल ( हे. में)	ख.न.	क्षेत्रफल ( हे. में)	ख.न.	क्षेत्रफल ( हे. में)	ख.न.	क्षेत्रफल ( हे. में)
4	5	4	5	4	5	4	5
18/1क, 93/1क में से	0.133	72/1ग	0.242	87/16	0.065	106	0.150
93/1क में से	0.040	93/1क में से	0.040	88/3	0.020	119	0.384
87/2	0.028	92/1	0.036	87/12	0.040	87/6	0.020
87/8	0.049	93/1ज	0.162	87/11	0.020	118 में से	0.081
92/4, 93/1ड	0.024	93/1क में से	0.040	88/2	0.028	118 में से	0.065
93/1क में से	0.061	88/4	0.032	89/1	0.028	93/1 में से	0.077
72/1ड	0.121	87/7	0.081	120	0.028	योग	2.195
71	0.040	87/15	0.028	87/9	0.032		

2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में से कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निश्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयम् अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।
4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, जिला-कोरबा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

  
(अनंत)

  
विक्रम कुमार चट्टेज  
पटवारी


पं.नं. 08 रा.नि.मं. अ.का.जि.  
कटघोरा



अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
कटघोरा




(रानू साहू)  
कलेक्टर,  
जिला-कोरबा  
एवं पदेन उप सचिव  
छ.ग. शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

  
राजस्व निरीक्षक  
रा.नि.मं. अ.का.जि.  
कटघोरा - कोरबा (छ.)

  
तहसीलदार

कटघोरा  
जिला-कोरबा (छ.ग.)

  
अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उप संभाग  
क्रमांक 1, कटघोरा